

**FORM-II**  
**(For linear projects)**  
 Government of Uttarakhand  
 Office of the District Collector Garhwal

No---①

Dated-25-5-2016

To WHOM SOEVER IT MAY CONCERN

In complinace of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that **1.575 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **Construction Division, P.W.D. Pauri** for **Construction of Kunjkhali-Barsund Motor Road** (purpose for diversion of forest land) in **Pauri Garhwal** district falls within jurisdiction of **Kunj, Bagar, Barsund,** village (s) in **Chaubattakhal** tehsils.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **1.575 hectares** of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure **annexure 01 to annexure 02**
- (b) The proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concerned Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;
- (c) The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. a copy of certificate issued by the gram sabha of **Kunj** villages is enclosed as **annexure 01 to annexure 02**
- (d) The discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (f) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Encl: As above.

  
**(Chandra Sekhar Bhatt)**  
 District Collector, Garhwal



प्रारूप-30  
FORM-1

(For linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Garhwal

No--- 62

Dated-- 25-5-2016


**TO WHOM SOEVER IT MAY CONCERN**

In complinace of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **1.575 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **Construction Division, P.W.D. Pauri** for **Construction of Kunjkhali-Barsund Motor Road** (purpose for diversion of forest land) in **Pauri Garhwal** District falls within jurisdiction of **Kunj, Bagar, Barsund,** village (s) in **Chaubattakhal** tehsils.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **1.575 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to annexure....
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) The proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

  
(Chandra Sekhar Bhatt)  
District Collector, Garhwal



OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER  
DISTRICT Garhwal (U.K.)


**Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under  
schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act  
(FRA). 2006.**

A meeting of the district level committee of Garhwal District constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Chandra Shekhar Bhatt, I.A.S, deputy commissioner, Pauri on dated ~~25.5.2016~~ at time ~~11:30~~... am. at Pauri in which the application claiming rights in area measuring **1.575 Hectare** for the construction of **Kunjkhali-Barsund Motor Road** of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Pokhra** sub division were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level Committee recommends the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Pauri,

Dated: ~~25.5.2016~~

  
Deputy Commissioner-cum-Chairman  
District Level Committee



(5)

**It is further Certified that minutes of meeting of Construction of Chaubattakhal-Latibaou-Dalibaou-Nai Motor Road (3.00 km) regarding FRA is as following:**

Sl .No.		Remarks
(a)	The complete process of identification and settlement of rights under the FRA had been carried out for the entire <b>1.575 hectares</b> area proposed for diversion. A copy of record of all consultations and meeting of the forest rights committee(s), Sub Division level Committee(s) are enclosed as annexure.	Yes, copy of record attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.
(b)	The Diversions of forest land for facilities managed by the government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the gram sabhas have been given consent to it.	Yes, copy of records attached as there are no habitants belonging to Scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. No Objection certificate concerned villages regarding construction of aforesaid construction of motor road is attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive tribal groups and pre agricultural Communities.	Yes, copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

Member District Board  
Pauri-Garhwal

District Social Welfare Officer  
Pauri Garhwal

Divisional Engineer  
Pauri Garhwal

Executive Engineer  
Construction Division  
PWD, Pauri

Deputy Commissioner  
Garhwal, Pauri



परियोजना का नाम :- कुण्जखाल-बरसुण्ड मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, -----

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, -----

उपखण्ड पोखड़ा परिक्षेत्र के अन्तर्गत ~~कुण्जखाल-बरसुण्ड~~ ~~1-5-75~~ हे० आरक्षित वन भूमि,

..... हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि, 1-5-75 हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल ..... हे० वन भूमि ) का निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, पौड़ी प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील ~~चौवलाखाल~~) की दिनांक 9-12-15 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री पी० रमेश शर्मा उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री ~~पी० रमेश शर्मा~~ उपजिलाधिकारी ~~अध्यक्ष~~
- 2- श्री ~~S.K. Kala~~ उप प्रभागीय वनाधिकारी ~~सदस्य~~
- 3- श्री ~~कु० मन्ना~~ सहायक समाज कल्याण अधिकारी ~~सदस्य/सचिव~~
- 4- श्री ~~का० वसुदेव~~ बी०डी०सी० क्षेत्र ~~सदस्य~~


उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि ~~कुण्जखाल~~ ~~बरसुण्ड मोटर मार्ग~~ परियोजना हेतु 1-5-75 हे० वन भूमि

प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।


संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, ~~वैलीखैरा~~ द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।



बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड जेखरा परिक्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम करसुवा - ~~डेखरा~~  
चौबटखाल झोरा - मारी के परियोजना के निर्माण हेतु 1.575 हे० वन भूमि ...  
 .....प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति  
 व्यक्त की गयी।

  
 उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष  
 उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार  
 समिति  
 तहसील-चौबटखाल  
 जनपद पौड़ी गढ़वाल

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
 उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष  
 उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार  
 समिति  
 तहसील-चौबटखाल  
 जनपद पौड़ी गढ़वाल



## प्रारूप-30.3

परियोजना का नाम :- कुण्जखाल-बरसुण्ड मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम कुण्ज

तहसील चौबट्टाखाल, जिला पौड़ी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत कुण्जखाल-बरसुण्ड मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हे० आरक्षित वन भूमि, 1.575 हे० सिविल सोयम भूमि, 0.00 हे० वन पंचायत भूमि 0.00 हे०) अर्थात् कुल 1.575 हे० वन भूमि का निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, पौड़ी विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कुण्ज द्वारा दिनांक 12/10/2015 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। \* उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कुण्ज, बंगर, बरसुण्ड के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, पौड़ी प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव  
मुहर सहित

ह०/-  
ग्राम प्रधान/सरपंच  
मुहर सहित



दिनांक 8/11/15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत-

कुशाग्र विहार

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	भगवती प्रसाद	भगवती प्रसाद
2	गामेली देवी	गामेली देवी
3	रेखा देवी	रेखा देवी
4	विनोद कुमार	विनोद कुमार
5	जगदीश प्रसाद	जगदीश प्रसाद
6	विक्रम सिंह	विक्रम सिंह
7	सुरेंद्र सिंह	सुरेंद्र सिंह
8	खुर्रम सिंह	खुर्रम सिंह
9	खुर्रम सिंह	खुर्रम सिंह
10	खुर्रम सिंह	खुर्रम सिंह
11	शान्ती देवी	शान्ती देवी
12	महेश्वरी देवी	महेश्वरी देवी
13	खुर्रम सिंह	खुर्रम सिंह
14	खुर्रम सिंह	खुर्रम सिंह
15	कल्पेश्वरी देवी	कल्पेश्वरी देवी
16	शान्ती देवी	शान्ती देवी
17	गामेली देवी	गामेली देवी
18	सुशीला देवी	सुशीला देवी
19	कसू देवी	कसू देवी
20	शीला देवी	शीला देवी
21	पुष्पकर सिंह	पुष्पकर सिंह





## निर्णय

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2007 के अन्तर्गत गठित उपखण्ड स्तरीय समिति से प्राप्त पोखड़ा ब्लॉक में जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र चौबट्टाखाल में कुण्जखाल, बगर, बरसुण्ड, मोटर मार्ग का निर्माण हेतु प्रस्तावित सिविल भूमि 1.575 हे० लो०नि०वि० को उपखण्ड स्तरीय समिति की संस्तति के आधार पर जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यवर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

सभी उपस्थित सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक का समापन किया गया।

(चन्द्रशेखर भट्ट)

आई०ए०एस०

जिलाधिकारी, गढ़वाल